10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(24)

मानननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – / 2018 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/0457 श्रीमती प्रतिभा पति लोकेन्द्र श्रीवास्तव, आयु 55 वर्ष, निवासी 39, मोरवाल कालोनी, बड़नगर जिला उज्जैन —— आवेदिका

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन
जिला उज्जैन —— अनावेदक

श्री ... द्वारा दि. 15.1.18 को प्रस्तुत। प्राथमिक तर्क हेतु दिनांक 12.2.18 नियत।
15.1.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन के प्र.क्र. 9/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 04–12–2017 एवं अपर क़लेक्टर उज्जैन के प्र.क्र. 3/अपील/2015–16 आदेश दिनांक 06–07–2016 तथा अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़नगर के प्र.क्र. 20/अ–2/2015–16 में आदेश दिनांक 27–01–2006 के विरूद्ध यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/0457

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 4-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण कराया गया है एवं प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही वर्ष 2015-16 की गाईड लाईन के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का पुर्ननिधारण एवं प्रीमियम निर्धारित किया गया है । आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	